राजस्थान सरकार

निदेशालय, कोष एवं लेखा, राज., जयपुर

वित्त भवन" जनपथ, जयपुर

(दूरभाष नं0:—0141—2740837,, फैक्स 0141—2742309, ई मेलः—jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांकः—एफ.4(ई) / (आर—91 / 94) / अलेसे—III / 542 दिनांक :— 26/07/2024

आदेश संख्या : 147/2024—25

श्री विरेन्द्र कुमार पाण्डे, कनिष्ठ लेखाकार (लिंक नं. 8915) तात्कालीन कार्यालय अधीक्षक राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी पी.बी.एम.अस्पताल, बीकानेर को 30,000/ रूपये की रिश्वत लेने के प्रकरण में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बीकानेर द्वारा दिनांक 18.12.2015 को ट्रेप कर अपराध संख्या 359/2015 दर्ज होने एवं न्यायिक अभिरक्षा में होने के कारण उक्त श्री पाण्डे को विभागीय आदेश क्रमांक 12555—60 दिनांक 14.01.2016 द्वारा दिनांक 18.12.2015 से निलम्बित किया गया। कार्मिक (क—3) विभाग के परिपत्र दिनांक 07.07.2010 एवं प्रशासनिक सुधार विभाग की आज्ञा दिनांक 12.01.2011 के क्रम में गठित निलम्बन से बहाली हेतु आयोजित समीक्षा बैठक दिनांक 18.06.2019 में श्री पाण्डे को निलम्बन से बहाल किये जाने का निर्णय लिये जाने पर श्री पाण्डे को विभागीय आदेश संख्या 431/2019—20 दिनांक 02.07.2019 द्वारा बहाल करते हुए पदस्थापन कार्यालय निदेशालय माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर में किया गया था, उक्त बहाली आदेश में निलम्बन अवधि का निर्णय माननीय न्यायालय के निर्णय के अध्यधीन रखा गया।

श्री विरेन्द्र कुमार पाण्डे को उक्त प्रकरण में माननीय भ्रष्टाचार निवारण न्यायालय, बीकानेर के सेशन प्रकरण संख्या 06/2016 के निर्णय दिनांक 08.02.2024 में **अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में चार वर्ष के साधारण कारावास व 15,000/— रूपये के अर्थदण्ड एवं धारा 13(1)(डी) सपठित धारा 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में चार वर्ष के साधारण कारावास व 15,000/— रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित कर सजा सुनाई गई,** जिसकी पालना में श्री पाण्डे दिनांक 08.02.2024 से दिनांक 23.02.2024 तक केन्द्रीय कारागृह बीकानेर में सजायाफ्ता रहे है। उक्त सजा के आदेश के विरूद्ध श्री पाण्डे ने माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में अपील दायर की माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर ने एस.बी. क्रिमिनल अपील संख्या 291/2024 में आदेश दिनांक 22.02.2024 द्वारा माननीय भ्रष्टाचार निवारण न्यायालय, बीकानेर के सेशन प्रकरण संख्या 06/2016 के उक्त निर्णय दिनांक 08.02.2024 में दण्डित सजा को स्थगित किया है, जिसकी पालना में श्री पाण्डे को दिनांक 23.02.2024 को कारागृह से रिहा किया गया है। श्री पाण्डे 48 घन्टे से अधिक न्यायिक अभिरक्षा में रहने के कारण विभागीय आदेश क्रमांक 3205 दिनांक 26.04.2024 द्वारा दिनांक 08.02.2024 से निलम्बित किया गया। निलम्बन अवधि में श्री पाण्डे का मुख्यालय कोषालय (ग्रामीण), जोधपुर किया गया हैं। माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के उक्त आदेश दिनांक 22.02.2024 में श्री पाण्डे की केवल सजा को स्थगित किया है, दोषसिद्धि यथावत है।

उपरोक्तानुसार श्री विरेन्द्र कुमार पाण्डे, कनिष्ठ लेखाकार का यह आचरण, जिसके कारण उसे दोष सिद्ध ठहराया गया है, ऐसा है कि उन्हे लोक सेवा में और आगे रखना अवांछनीय है।

उपरोक्तानुसार अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 19(i) एवं कार्मिक (क—2) विभाग के परिपत्र कमांक प.2 (3) कार्मिक/क—3/96 दिनांक 31.12.96 के बिन्दु संख्या 7 के अनुसार उक्त श्री विरेन्द्र कुमार पाण्डे, कनिष्ठ लेखाकार मुख्यालय कोषालय (ग्रामीण), जोधपुर को माननीय न्यायालय द्वारा दोष सिद्धि के निर्णय दिनांक 08.02.2024 से राजकीय सेवा से पदच्युत किया जाता है।

(भूपेश माथुर)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः—एफ.4(ई) / (आर—91 / 94) / अलेसे—III / 542 दिनांक :— 26/07/2024

<u>प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—</u>

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, सचिवालय जयपुर।
2. कलक्टर, जोधपुर।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
4. कोषाधिकारी (ग्रामीण), जोधपुर।
5. निजी सचिव, निदेशक महोदय।
6. उपनिदेशक (एसीपी) कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. श्री विरेन्द्र कुमार पाण्डे, कनिष्ठ लेखाकार मुख्यालय कोषालय (ग्रामीण), जोधपुर।
8. गोपनीय शाखा/पदस्थापन सीट।
9. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

(के. जी. गुप्ता)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक)